27.06.2018	**राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** पीठासीन अधिकारी :– श्री जे0एन0मथुरिया(आर0ए0एस0) आर.सी.एम.एस 2017 / 00265 अपील संख्या 78 / 2017 (225 आर.टी.एक्ट) उनवानः– भगवान देई बनाम खुशबु	
	व्कील अपीलार्थी उप0। प्रत्यर्थी की ओर से बावजूद तामील कोई उप0 नहीं। बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील अपीलार्थी नें 2009 (1) आर.आर.टी 162 को संदर्भित करते हुए निवेदन किया कि दादा के जीवित रहते पुत्र की पुत्री को कोई अधिकार जनित नहीं होते है। अपीलार्थी सदभावी केता है अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली से अपीलार्थी के कथन की पुष्टि होती है लेकिन प्रत्यर्थीगण के अधिकार मूलवाद में तय होगें अतः सदभावी केता को आंशिक अनुतोष प्रदान करते हुए कयशुदा आराजी के म्यूटेशन की छुट दी जाती है। अपीलांट म्यूटेशन के पश्चात रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखेगें। पत्रा0 फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे एवं वाद तामील तकमील दफतर हो। आदेश सुनाया गया।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official